

Roll No. :

Total No. of Questions : 11]

[Total No. of Printed Pages : 4

LB-3011

LL.B. (IIIrd Year) Examination, 2022

ARBITRATION, CONCILIATION AND ALTERNATIVE DISPUTES RESOLUTION SYSTEMS

Paper - 3.9

Time : 3 Hours]

[Maximum Marks : 100

Section-A

(Marks : 2 × 10 = 20)

Note :- Answer all *ten* questions (Answer limit 50 words). Each question carries 2 marks.

(खण्ड-अ)

(अंक : 2 × 10 = 20)

नोट :- सभी दस प्रश्नों के उत्तर दीजिए (उत्तर-सीमा 50 शब्द)। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है।

Section-B

(Marks : 7 × 5 = 35)

Note :- Answer all *five* questions. Each question has internal choice (Answer limit 200 words). Each question carries 7 marks.

(खण्ड-ब)

(अंक : 7 × 5 = 35)

नोट :- सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में विकल्प का चयन कीजिए (उत्तर-सीमा 200 शब्द)। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है।

Section-C

(Marks : 15 × 3 = 45)

Note :- Answer any *three* questions out of five (Answer limit 500 words). Each question carries 15 marks.

(खण्ड-स)

(अंक : 15 × 3 = 45)

नोट :- पाँच में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए (उत्तर-सीमा 500 शब्द)। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है।

BR-948

(1)

LB-3011 P.T.O.

Section–A

(खण्ड–अ)

1. (i) What is Additional Award ?
अतिरिक्त पंचाट क्या है ?
- (ii) Who can be an Arbitrator ?
मध्यस्थ कौन हो सकता है ?
- (iii) When can a foreign Award be treated as a decree ?
विदेशी पंचाट कब डिक्री (आज्ञप्ति) माना जाता है ?
- (iv) What is Settlement Agreement ?
समझौता करार क्या है ?
- (v) Write a short note on Power of Lok Adalat.
लोक अदालत की शक्तियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- (vi) When do the proceeding for conciliation start ?
सुलह की कार्यवाही कब प्रारम्भ होती है ?
- (vii) Write a short note on the Supreme Court Legal Services Committee.
उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति पर टिप्पणी लिखिए।
- (viii) Who is eligible for Legal Aid ?
विधिक सेवा हेतु कौन पात्र होगा ?
- (ix) Discuss Drawbacks of Lok Adalats.
लोक अदालतों की कमियों का वर्णन कीजिए।
- (x) Explain Legal Representative.
विधिक प्रतिनिधि को समझाइए।

Section-B

(खण्ड-ब)

2. Discuss the organization and functions of National Legal Services Authority.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए।

Or

(अथवा)

Discuss in detail the appellate provision against the arbitral award as provisional in the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 में दिए गए पंचाट के विरुद्ध प्रावधित अपीलीय प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।

3. "The purpose of establishment of family courts is to promote conciliation in disputes relating to marriage and family affairs." Comment.

"पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का उद्देश्य वैवाहिक व पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में सुलह को बढ़ावा देना है।" टिप्पणी कीजिए।

Or

(अथवा)

Discuss the objectives of the Legal Service Authorities Act, 1987.

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उद्देश्य बताइए।

4. How are the District Legal Services Authorities Constituted ? What are their functions and powers ?

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किस प्रकार गठित किए जाते हैं ? इसके कार्यों पर प्रकाश डालिए।

Or

(अथवा)

Discuss the salient features of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

5. Write an essay on Lok Adalat.

लोक अदालत पर निबंध लिखिए।

Or

(अथवा)

Explain various modes of Alternative Dispute Resolution System.

विवादों को सुलझाने हेतु विभिन्न एवजी तरीकों को समझाइए।

6. Write a note on the Working System and Powers of Nyaya Panchayat and Family Court in India.

भारत में न्याय पंचायत तथा पारिवारिक न्यायालय की कार्यप्रणाली एवं उनकी शक्तियों पर टिप्पणी लिखिए।

Or

(अथवा)

Alternative Dispute Resolution System is gaining popularity and faith. What are its reasons ? Explain.

वैकल्पिक विवाद सुलह व्यवस्था लोकप्रिय एवं विश्वसनीय हो रही है। इसके क्या कारण हैं ? समझाइए।

Section-C

(खण्ड-स)

7. Explain in detail the role of conciliator in conciliation proceedings.
सुलह कार्यवाही में सुलहकर्ता की भूमिका को विस्तार से समझाइए।
8. Discuss provisions relating to Appointment and removal of arbitrator.
मध्यस्थ की नियुक्ति एवं हटाये जाने सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन कीजिए।
9. Discuss the role of 'Gram Panchayat' and 'Commissioner' for a panchayat as other alternative dispute resolution system.
'ग्राम पंचायत' एवं 'ग्राम कमीश्नर' की भूमिका की विवेचना अन्य वैकल्पिक विवाद निपटारा पद्धति के अन्तर्गत कीजिए।
10. "An arbitration award cannot be upset by court except on specific grounds."
Discuss.
"माध्यस्थम पंचाट को न्यायालय द्वारा कुछ निश्चित आधारों पर ही बदला जा सकता है।" विवेचना कीजिए।
11. Discuss the procedure to challenge the appointment of an Arbitrator.
किसी मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।